राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1216/2023

भंवरलाल मेहरडा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2023
आदेश की दिनांक : 06.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवकृष्ण पुरोहित, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सदस्य के पद पर राजस्व बोर्ड जिला अजमेर (वर्तमान निलम्बित) में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2021 एवं 16.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करने के निर्देश दिये जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे। अपीलार्थी वाणिज्य कर विभाग में निरीक्षक के पद पर वर्ष 1990 में चयन किया गया और उसे दिसम्बर 1992 में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित किया गया अपीलार्थी को प्रशिक्षण पश्चात कई पदों पर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 19.02.2020 के द्वारा सदस्य राजस्व बोर्ड अजमेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की सेवा हमेशा संतोषजनक रही है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व भ्रष्टाचार के आधार पर मोबाइल टेस्ट किये है और मोबाइल रिकॉर्डिग के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व एफआईआर संख्या 120/2021 एसीबी के द्वारा दर्ज की गई है जिसके क्रम में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया तद्उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत

भी दी गई। आदेश दिनांक 11.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। परन्तु अभी तक कोई भी जॉच शुरू नहीं की गई और आदेश दिनांक 19.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जॉच को प्रभावित किये बिना निलम्बन आदेश दिनांक 11.04.2021 में निलम्बन से बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2021 के द्वारा अपीलार्थी के 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभीरक्षा में रहने के कारण पुनः निलम्बित माना गया। अपीलार्थी ने दिनांक 09.01.2023 को उक्त क्रम में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी सिविल रीट याचिका संख्या 1843/2023 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को उचित निर्णय लेकर आख्यात्मक आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई परन्तु उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व गंभीर आरोप बताते हुए खारिज कर दी गई। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2023 को रीट याचिका प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी रंगे हाथों नहीं पकडा गया। उसकी सेवाऐं कभी कलंकीत नहीं रही है। अपीलार्थी को 20 माह पश्चात निलम्बन आदेश जारी किया गया है जो विधि विरूद्व है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में भी ऐसे कई निलम्बन आदेशों को निरस्त किये है। श्री अमृत लाल जींगर एवं श्री विरेन्द्र वाले मामलों में भी उनको आदेश निरस्त कर बहाल किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही ऐसे कई मामलें जैसे तमिलनाडू राज्य बनाम प्रमोद कुमार एआईआर 218/एससी–4060 एवं अजय चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2015(7)एससीसी–291,एसबीसिविल रीट याचिका संख्या 11574/2022 बाबूलाल जागा बनाम राजस्थान राज्य, एसबीसिविल रीट याचिका संख्या 4276/2018 मानवेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य, डीबीस्पेशल अपील रीट संख्या 1111/2019 राजस्थान राज्य बनाम मानवेन्द्र सिंह मामलों में यदि कार्मिक के विरूद्व कोई चार्चशीट विभागीय जॉच के समय जारी नहीं की गई है तो तीन माह में निलम्बन आदेश निरस्त किया गया है और ऐसे निलम्बन आदेशों को उचित नही माना है। अपीलाथी को निलम्बन हुए 20 माह से अधिक का समय हो चुका है उसे न तो चार्जशीट दी गई और न ही निलम्बन आदेश को निरस्त

किया गया है। इसी तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4276/2018, 8981/2020, 345/2022, 6242/2022 एवं 9207/2022, आदि में उक्त मामलें जैसे सिद्धात प्रतिपादित किये गये है। परन्तु अपीलार्थी को बिना किसी कारण से हैरान व परेशान करने से बहाल नहीं किया जा रहा है जो नियम विरूद्व है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2021 एवं 16.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करने के निर्देश दिये जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उनका लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि यदि कोई राजकीय कार्मिक 48 धण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभीरक्षा में रखा जाता है तो उसे गिरफ्तारी दिनांक से निलम्बित किया जाता है। अपीलार्थी को नियम 13 के तहत ही निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्व लगाये गये आरोप गंभीर है और अपीलार्थी को एसीबी द्वारा अपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया और एफआईआर दर्ज की गई और प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम 13(2) के आधार पर दिनांक 11.04.2021 को निलम्बित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार को उल्लंघन नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

3. हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सदस्य के पद पर राजस्व बोर्ड जिला अजमेर (वर्तमान निलम्बित) में कार्यरत था और उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व एफआईआर संख्या 120/2021 दर्ज की गई है जिसके क्रम में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और आदेश दिनांक 15.06.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित कर दिया गया। 20 माह बाद भी अपीलार्थी के विरूद्व अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023, जिसमें लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलंबन एवं निलंबन से बहाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों, अभिलेखों व अभिवचनों के विवेचन के आधार पर एवं राज्य सरकार के परिपत्रों व न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के

संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय लें और अपीलार्थी को सूचित करें।

5. अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)